भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1835

09 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

वर्षाजन्य बाढ़ से भारी वित्तीय नुकसान

1835 श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में वर्षा के कारण (तूफानजन्य जल-संबंधी) आने वाली बाढ़ से होने वाला वार्षिक नुकसान लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और वर्ष 2025 की विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2070 तक संभावित जोखिम 3.6 से 7 गुना तक बढ़ सकता है;

(ख) क्या सरकार ने वर्षा के कारण आने वाली बाढ़ के जोखिम प्रबंधन के लिए एक व्यापक दीर्घकालिक राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार की है या तैयार करने का विचार रखती है, जिसमें जलवायु अनुकूल तूफानजन्य वर्षा जल निकासी, शहरी नियोजन सुधार और संकटापन्न एवं अनौपचारिक बस्तियों का संरक्षण शामिल है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी कार्यनीति का ब्यौरा और समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो अंतरराष्ट्रीय और घरेलू आकलन से बार-बार चेतावनी मिलने के बावजूद एक दीर्घकालिक योजना नहीं होने के क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) : विश्व बैंक द्वारा तैयार की गई 'टुवर्ड्स रेज़िलिएंट एंड प्रॉस्परस सिटीज इन इंडिया' नामक रिपोर्ट और वर्ष 2025 में प्रकाशित ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन एंड रिकवरी (जीएफडीआरआर) रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि देश में प्लुवियल (तूफानी वर्षा जल से संबंधित) बाढ़ से होने वाली हानि प्रतिवर्ष लगभग 4 अरब अमेरिकी डॉलर है। रिपोर्ट

के अनुसार जलवायु परिवर्तन तथा शहरीकरण पद्धतियां तूफानी वर्षा जल अथवा प्लुवियल बाढ़ के जोखिम के प्रमुख कारक हैं।

शहरी बाढ़ प्रबंधन राज्य सरकारों तथा शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो जलनिकासी एवं सीवरेज प्रणाली के रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं। भारत सरकार योजनागत हस्तक्षेपों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। सरकार शहरी नियोजन पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी जलनिकासी एवं बाढ़ प्रबंधन में सुधार के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़/परामर्शी दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं:

i. शहरी एवं क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण एवं क्रियान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014
https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%20I(2).pdf

ii. शहरी बाढ़ के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), 2017
https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/SOP%20Urban%20flooding_5%20May%202017.pdf

iii. नदी-केंद्रित शहरी नियोजन दिशानिर्देश 2021, जिनका उद्देश्य शहरों को प्रकृति-आधारित समाधानों सहित समन्वित जल प्रबंधन दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता प्रदान करना है।
https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/RCUP%20Guidelines.pdf

iv. वर्षा जल संचयन पार्कों के निर्माण संबंधी मार्गदर्शिका
https://mohua.gov.in/pdf/6566e1048ab41guidance-document-on-rainwater-harvesting-parks-final.pdf

v. तूफानी वर्षा जल निकासी प्रणाली संबंधी नियमावली (2019)
https://mohua.gov.in/publication/manual-on-storm-water-drainage-systems--2019.php

वर्ष 2015 में शुरू किए गए 'अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)' में तूफानी वर्षा जल निकासी का एक घटक है, जिसके अंतर्गत बाढ़ को कम करने तथा रोकने के उद्देश्य से जल निकासी/तूफानी वर्षा जल निकासी का निर्माण एवं सुधार तथा हरित क्षेत्रों और पार्कों का विकास करना शामिल है। अमृत के अंतर्गत 3017.13 करोड़ रुपये की लागत वाली 838 तूफानी वर्षा जल निकासी परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया। अमृत पोर्टल पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 2,448.12 करोड़ रुपये की लागत वाली 820 तूफानी वर्षा जल निकासी परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। अमृत के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 1,604.13 करोड़ रुपये की लागत वाली 2,522 हरित क्षेत्र और पार्क परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 1,579.27 करोड़ रुपये की लागत वाली 2,502 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से अब तक 5,286 एकड़ पारगम्य हरित क्षेत्र विकसित किया जा चुका है।

अमृत 2.0 के अंतर्गत राज्यों द्वारा हरित क्षेत्रों और पार्कों के विकास तथा जलाशयों और कुओं के पुनरुद्धार से संबंधित परियोजनाएँ शुरू की जा सकती हैं। अमृत 2.0 के अंतर्गत 13,893.82 एकड़ क्षेत्र में 6,083.32 करोड़ रुपये की लागत वाली 2,991 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाओं तथा 1,103.71 करोड़ रुपये की लागत वाली 1,665 हरित क्षेत्र और पार्क परियोजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, अमृत तथा अमृत 2.0 के अंतर्गत सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएँ भी शुरू की गई हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ तूफानी वर्षा जल की निकासी में सहायक है। अमृत के अंतर्गत अमृत पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अद्यतन की गई जानकारी के अनुसार 889 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिनसे 22,477 किलोमीटर लंबे सीवर नेटवर्क का निर्माण हुआ है। अमृत 2.0 के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 34,559 किलोमीटर लंबे सीवर नेटवर्क को शामिल करने वाली 584 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएँ शुरू की गई हैं।

*****